

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार
आई०ए०एस०

प्रार्थना पत्र सं० 19/2021 रा.रा.अ.

छोटे लाल पुत्र मेवाराम जाति खारवाल निवासी ढेहरा की ढाणी, अनन्तवाडा तहसील बसवा
जिला दौसा।

... प्रार्थी

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भू अवाप्ति) एवं उपखंड अधिकारी बांदीकुई।
2. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दौसा

... अप्रार्थीगण



प्रार्थना पत्र बाबत मध्यस्थ कार्यवाही।

- उपस्थित—
1. श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह
 2. श्री राकेश धनकड, अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 2
 3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक 26.03.2025

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, बांदीकुई द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 148 एन के अंतर्गत ग्राम अनन्तवाडा के खसरा नंबर 49 में स्थित संरचना डीबी 76 आरएचएस के पारित मुआवजा अवार्ड आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व अधीनस्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई से बिन्दुवार तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की भूमि खसरा नं. 49 में स्थित आवासीय संरचना डी. बी.—76 (आरएचएस) की अवाप्ति कार्यवाही अप्रार्थी सं. 01 के द्वारा राष्ट्रीय राज्यमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए की उपधारा 1 व इसी अधिनियम की धारा 3 (डी) 1 व 2 के अनुसरण में की गई तथा अप्रार्थी सं. 01 द्वारा की गई उपरोक्त वर्णित संरचना की अवाप्ति की द्वारा उपरोक्त संरचना के कार्यवाही पश्चात् प्रार्थी को अप्रार्थी सं. 01 मुआवजा भुगतान हेतु लिखित सूचना क्रमांक 462 दिनांक 14.08.2020 प्रार्थी को दी गई जिस पर प्रार्थी द्वारा उपरोक्त संरचना बाबत निर्धारित राशि का आकलन कम आक कर उसका भुगतान किये जाने पर अप्रार्थी सं. 01 के समक्ष आपत्ति जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट रसीद सं. आर. आर. 272272176 आई.एन. दिनांक 18.09.2020 को लिखित तौर पर दर्ज करवाई तथा इसके पश्चात् प्रार्थी द्वारा अपनी उपरोक्त आवासीय संरचना डी. बी.— 76 (आरएचएस) की वैल्यूवेशन स्वयं ने नीजि तौर पर ताम्बियां एण्ड एशोसियेट द्वारा करवायी गई है। जिस पर भी अप्रार्थी सं. 01 द्वारा प्रार्थी द्वारा पूर्व में दिनांक 18.09.2020 को जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट दर्ज करायी गई आपत्तियों का निस्तारण आज तक नहीं किये जाने पर श्रीमान के समक्ष मध्यस्थ कार्यवाही हेतु यह प्रार्थना पत्र निम्न लिखित आधारों पर पेश किया जा रहा है:—
 - प्रार्थी की संरचना बाबत स्टैम्डिंग ऑर्डर एक्स-3/2015 के अनुसार केवल सजाको नेट वैल्यू को ही प्रतिकर मान लिया जाकर उस पर 100 प्रतिशत सॉलेशि कर कुल प्रतिकर राशि का अवार्ड पारित किया गया है। जबकि अधिग्रहण पश्चात् उपरोक्त संरचना से प्रार्थी अलग होकर अपने निवास, पशुनिवास व अन्य उपयोग हेतु संरचनाओं का नवनिर्माण करना रहेगा, जिसके लिए प्रार्थी को अपने व्यवसाय, वृत्तिका तथा अपने

जिला कलेक्टर, दौसा

आय स्रोत से अलग होकर निर्माण कार्य में समय देकर अपनी आय का नुकसान उठाना पड़ेगा तथा अपने पूर्व निर्मित निवास डी. बी.-76 (आरएचएस) से अलग होना पड़ेगा जिसके कारण उन्हें शारीरिक व मानसिक संताप सहन करना पड़ रहा है तथा इस संरचना के अधिग्रहण के कारण जो शारीरिक, मानसिक संताप व आर्थिक हानि बाबत कोई प्रतिकर राशि नहीं दी जा रही है, जबकि इस बाबत प्रार्थी को पृथक से प्रतिकर राशि भी दिया जाना न्याय हित में आवश्यक था, जिस बाबत अप्रार्थी सं. 01 द्वारा कोई राशि नहीं दी जा रही है।

- प्रार्थी को उसकी संरचना की वैल्यू निर्धारण पी.डब्ल्यू.डी. राजस्थान के स्टैण्डिंग ऑर्डर एक्स-3/2015 के अनुसार किया गया है अर्थात् प्रार्थी को उसकी संरचना बाबत सन् 2015 में प्रचलित दर के अनुसार निर्धारण किया गया है, जबकि प्रार्थी से उसकी संरचना का कब्जा भी सन् 2020 में लिया जा रहा है तथा प्रार्थी द्वारा अपने निवास, पशुनिवास व अन्य उपयोग बाबत बंद निर्माण सन् 2020 (संरचना से बेदखल के पश्चात्) ही किया जावेगा। जिस बाबत प्रार्थी द्वारा सन् 2020 व 2021 में प्रचलित बाजार दरों के अनुसार भुगतान कर ही नव निर्माण किया जावेगा। अतः इस प्रकार प्रार्थी के उपरोक्त संरचना बाबत पारित अवार्ड राशि में नेट वैल्यू का आंकलन स्टैण्डिंग ऑर्डर एक्स -3/2015 के अनुसार नहीं किया जाकर सन् 2020 व 2021 में प्रचलित बाजार दरों अथवा पी.डब्ल्यू.डी. राजस्थान द्वारा प्रस्तावित स्टैण्डिंग ऑर्डर एक्स 3/2020 के अनुसार किया जाना न्याय हित में आवश्यक है तथा एसेस्टस वैल्यूवेशन रिपोर्ट में के अनुसार किया जाकर बी. एस. आर. 2019 लिखकर मिसलीड किया जाकर प्रार्थी की उपरोक्त संरचना डी. बी. - 76 (आरएचएस) का प्रोपर्टी मूल्यांकन करवाया जाकर नेट वैल्यू का निर्धारण किया गया है।
 - प्रार्थी की आवासीय संरचना डी. बी.- 76 (आरएचएस) की मुआवजा राशि की आंकलन बाबत तैयार की गई रिपोर्ट में इस संरचना बाबत 5,61, 947/रु नेट कीमत पी.डब्ल्यू.डी. राजस्थान स्टैण्डिंग ऑर्डर एक्स -3/2015 व बी. एस. आर. 2019 द्वारा आंकी गई है जबकि प्रार्थी द्वारा अपनी संरचना डी. बी.-76 (आरएचएस) स्वयं द्वारा ताम्बिया एण्ड एसोशियट द्वारा तैयार कराई गई एसेस्टस वैल्यूवेशन रिपोर्ट भी उक्त वर्णित पी.डब्ल्यू.डी. राजस्थान स्टैण्डिंग ऑर्डर एक्स- 3 /2015 के आधार पर उपरोक्त संरचना को बारह साल (दि. 20.11.2020 को) पुराना मानते हुए 7,38,526/-रु0 आंकलित की गई है तथा इस प्रकार अप्रार्थी सं. 01 द्वारा प्रार्थी की संरचना डी. बी.-76 (आरएचएस) की बाबत आंकलित मुआवजा राशि का पी.डब्ल्यू.डी. राजस्थान स्टैण्डिंग ऑर्डर एक्स-3/2015 से कम आंकलन करते हुए प्रार्थी को उपरोक्त संरचना के भुगतान का आदेश पारित किया गया है। जबकि प्रार्थी अपनी संरचना डी. बी.- 76 (आरएचएस) की बाबत उपरोक्त नियमानुसार अपने (नेट वैल्यू 7,38,526/+ सोलेशियम 7,38,526/-) कुल राशि 14,77,052/रु प्राप्त करने का अधिकारी है।
 - प्रार्थी द्वारा जो वैल्यूएशन अपनी आवासीय संरचना डी. बी. - 76 (आरएचएस) बाबत करवायी है वह प्रार्थना पत्र के साथ पेश है तथा जिन ताम्बिया एण्ड एसोसिएट द्वारा आवासीय संरचना डी. बी.- 76 (आरएचएस) की वैल्यूएशन की है वे सुप्रशिक्षित एवं अनुभवी है तथा जिन्हे समुचित सरकार द्वारा आवासीय संरचनाओं की वैल्यूएशन बाबत अनुज्ञा प्रदान की गई है। जिसके अनुसार ही उनके द्वारा उपरोक्त संरचना की एसेस्टस वैल्यूएशन एसेसमेन्ट किया गया है।
4. अतः प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत सुसंगत दस्तावेज के आधार पर स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में उसकी डी. बी. - 76 आरएचएस) के बाबत कुल राशि (नेट राशि + सोलेशियम) 14,77,052/- व प्रार्थी को कारित मानसिक व शारीरिक

संताप व आर्थिक हानि हेतु भी पृथक से प्रतिकर दिलवाये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 49 वाके ग्राम अनन्तवाडा में स्थित आवासीय संरचना सं० डी.बी.76 आरएचएस का भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुई ने विधिवत रूप से मुआवजा अवार्ड आदेश पारित किया गया है। प्रार्थी गलत आधारों पर मुआवजा प्राप्त करना चाहता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।
6. अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 2 ने बहस में कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के निर्माण के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसी के अन्तर्गत प्राप्त समस्त आक्षेपो पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3डी के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की गई तथा उक्त अधिसूचना के पश्चात समस्त अधिग्रहित भूमि, जिसमें प्रार्थी के खसरा नंबर 49 में स्थित आवासीय संरचना डी. बी.- 76 (आरएचएस) है वाके ढेहरा की ढाणी अनन्तवाडा तहसील बसवा, जिला दौसा की संरचना सम्मिलित है। जिसका अप्रार्थी द्वारा नियमानुसार समस्त विधिक प्रक्रिया अपना समुचित मुआवजा राशि का निर्धारण कर कुल मुआवजा राशि 11,23,894/- रुपये का अवार्ड दिनांक 12.6.2020 को पारित कर दिया गया, जिसका उल्लेख अवार्ड दिनांक 12.6. 2020 में गया है। यहाँ यह दर्ज किया जाना समीचीन है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर अर्जित भूमि पर स्थित भवन आदि परिसम्पत्तियों के मुआवजा राशि की गणना पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 29 से 30 में उल्लेखित कारको के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड दिनांकित 12.6.2020 को पारित किया गया जिसका उल्लेख उक्त अवार्ड में किया गया है जो कि निम्न प्रकार है:-
1. अर्जित भूमि पर स्थित भवन आदि परिसम्पत्ति की धनराशि (Section 29 of RFCTLARR Act 2013) -भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 30 की उपधारा 1 के अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित भवन और अन्य स्थावर सम्पत्ति या आस्तियों के बाजार मूल्य का अवधारण करने के लिये, सुसंगत क्षेत्र में किसी सक्षम इंजीनियर या ऐसे किसी अन्य विशेषज्ञ की सेवा का उपयोग करने के प्रावधार है, जिसके अनुसार परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पत्र दिनांक 3.6.2019 के क्रम में अर्जित भूमि पर स्थित भवन इत्यादि परिसम्पत्ति का मूल्यांकन/सत्यापन सार्वजनिक निर्माण विभाग से कराकर रिपोर्ट अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड, सिकन्दरा के पत्र संख्या 1098 दिनांक 18.6.2019 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपलब्ध करायी गयी है।
2. 100 प्रतिशत तोषण (Solatium) :- (Under Section 30 of RFCTLARR act 2013) -भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 30 के अनुसार अर्जित भूमि के बाजार मूल्य एवं अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों की धनराशि पर समान रूप से 100 प्रतिशत तोषण (वसंजपनउ) अंगणित किये जाने की व्यवस्था दी गयी है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों की रोशनी में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।
7. प्रार्थी के खसरा नंबर खसरा नं 49 में स्थित आवासीय संरचना डी. बी.- 76 (आरएचएस) है वाके ढेहरा की ढाणी अनन्तवाडा तहसील बसवा, जिला दौसा का अप्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार समस्त विधिक प्रक्रिया अपनाकर मुआवजा राशि रुपये 11,23,894/- का अवार्ड दिनांक 12.2.2020 को प्रार्थी के पक्ष में पारित कर दिया गया जिसका अवार्ड दिनांक 12.2.2020 के कम संख्या 102 पर दर्ज किया गया है। उल्लेखनीय है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर अर्जित भूमि पर स्थित भवन आदि परिसम्पत्तियों के

मुआवजा राशि की गणना पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 29 से 30 में उल्लेखित कारको के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड दिनांकित 12.6.2020 को पारित किया गया जिसका उल्लेख उक्त अवार्ड में किया गया है। प्रार्थी के खसरा नंबर खसरा नं 49 में स्थित आवासीय संरचना डी.बी.-76 (आरएचएस) है वाके डेहरा की ढाणी अनन्तवाडा तहसील बसवा, जिला दौसा का अप्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार समस्त विधिक प्रक्रिया अपनाकर मुआवजा राशि रूपये 11,23,894/- का अवार्ड दिनांक 12.2.2020 को प्रार्थी के पक्ष में पारित कर दिया गया जिसका अवार्ड दिनांक 12.2.2020 के क्रम संख्या 102 पर दर्ज किया गया है। यहाँ यह दर्ज किया जाना समीचीन है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर अर्जित भूमि पर स्थित भवन आदि परिसम्पत्तियों के मुआवजा राशि की गणना पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 29 से 30 में उल्लेखित कारको के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड दिनांकित 12.6.2020 को पारित किया गया है। मैं प्रार्थी की ओर से इस मद में दर्ज ताम्बिया एसोसियेट की ओर से की गई वेल्यूवेशन के आधार पर प्रार्थी किसी भी प्रकार से अतिरिक्त मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है इस लिए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी अवार्ड को संशोधित करवाने या अवार्ड अनुसार प्रार्थी को देय प्रतिकर के रूप में मुआवजे राशि के अतिरिक्त अन्य कोई मुआवजा राशि का निर्धारण कराने और कोई भी अतिरिक्त मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थी ने कोई भी ठोस आधार अपने आवेदन पत्र में अवार्ड के बाबत एतराज करने के सम्बन्ध में दर्ज नहीं किये है। समस्त आधार केवल मात्र एतराज उठाने की गर्ज से ही लिये गये प्रतीत होते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र किसी भी आधार पर पोषणीय नहीं होने के कारण मय हर्जा खारिज फरमाया जावे।

8. भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुई से टिप्पणी प्राप्त की गई जिसके अनुसार ग्राम अनन्तवाडा तहसील बसवा के खसरा नंबर 49 में स्थित डी0बी0 76 आरएचएस का मूल्यांकन सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखंड बांदीकुई से करवाया गया था। उक्त संरचना एन.एच.148 एन के निर्माण हेतु अवाप्त की गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखंड बांदीकुई द्वारा निर्धारित की गई मूल्यांकन राशि की दुगुनी राशि का मुआवजा निर्धारित कर उक्त संरचना का अवार्ड दिनांक 12.6.2020 को पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार बसवा से प्रमाणित करने के उपरांत विधिवत प्रक्रिया पूर्ण कर पारित किया गया है। अवार्ड के अनुसार संरचना संख्या डी0बी0 76 आरएचएस का मुआवजा मूल्यांकन राशि 561947/-रु० की दुगुनी राशि 1123894/-रु० का छोटेलाल पुत्र मेवाराम के नाम स्वीकृत हुआ है। आवेदन करने पर प्रार्थी को मुआवजा राशि का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किया जा चुका है।

9. प्रार्थी द्वारा डी0बी0 76 आरएचएस के संबंध में विवाद के बिन्दु इस प्रकार है:-

- उक्त संरचना को अवार्ड पारित करते समय उसकी आयु का सही निर्धारण नहीं किया गया है।
- अधिग्रहण पश्चात प्रार्थी को अपने निवास, व पशुनिवास हेतु संरचना का नवनिर्माण करना होगा जिस कारण से शारीरिक, मासिक व आर्थिक हानि के संबंध में राशि पृथक से दी जावे।
- प्रतिकर का निर्धारण सन 2015 में प्रचलित दर के अनुसार किया है किन्तु प्रार्थी से उसकी संरचना का कब्जा सन 2000 में लिया गया है। अतः प्रार्थी को 2020 व 2021 में प्रचलित बाजार दरों के अनुसार भुगतान किया जावे।


 जिला कलेक्टर, दौसा

- प्रार्थी द्वारा आवासीय संरचना की नैट वैल्युएशन रिपोर्ट अनुसार उक्त संरचना 738526/-रु0 है जो कि अप्रार्थी द्वारा गलत रूप से आंकी जाकर 561947/-रु0 की आंकी गई है।
10. जहाँ तक संरचना के कितने वर्ष पुराने होने के संबंध में कथन है तो अप्रार्थी द्वारा इस संबंध में सहायक अभियंता सानिवि एवं कनिष्ठ अभियंता, सानिवि द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसमें उक्त संरचना की उम्र 10 वर्ष आंकी गई है वहीं प्रार्थी द्वारा ताबिया एवं एसोसियेट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसमें उक्त संरचना की उम्र 12 वर्ष पूर्व आंकी गई है। ऐसे में चूंकि जो प्रार्थी जो कथन किया गया है उसे स्वीकार किया जाता है तो उसे उसे मुआवजा निर्धारण किया गया है से कम राशि दी जानी चाहिए। अपितु चूंकि अप्रार्थी द्वारा किया गया निर्धारण सानिवि द्वारा किया गया है अतः उनके द्वारा दर्शाई गई संरचना की आयु यथा 10 वर्ष को ही सही मानना उचित है।
 11. जहाँ तक प्रार्थी द्वारा स्वयं को हुए मानसिक, शारीरिक व आर्थिक रूप से हुए हानि के संबंध में प्रथक से राशि दिये जाने हेतु निवेदन किया है तो इस संबंध में प्रार्थी को अपनी संरचना के लिए मूल अवार्ड में 100 प्रतिशत दर से सोलेशियम दिया जा चुका है। सोलेशिम का अर्थ ही भावनात्मक क्षति या नुकसान के लिए दिया जाने वाला मुआवजा होता है, इससे अधिक किसी भी प्रकार की राशि दिये जाने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।
 12. जहाँ तक प्रार्थी द्वारा वर्ष 2020 में उक्त संरचना की मूल्य देय राशि के संबंध में निवेदन किया है तो इस संबंध में प्रार्थी द्वारा स्वयं उक्त संरचना के मूल्य की गणना सार्व0निर्माण विभाग के आदेश एक्स-3/2015 के आधार पर करवाई गई है। प्रार्थी द्वारा उक्त मूल्यांकन में 5 साल के कोस्ट इण्डैक्स के तहत की गई मूल्यांकन में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। इसमें दो कमियां हैं: सर्वप्रथम 50 प्रतिशत का आंकडा किस आधार पर लिया गया है इसका कोई भी तार्किक व स्पष्ट कारण, केन्द्र या राज्य सरकार की कोई अधिनियम, नियम एवं नीति का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। द्वितीय यह कि जो राज्य सरकार की नीति है जो कि सार्व0निर्माण विभाग के परिपत्र एक्स-3/2015 में अंकित है के अंदर इस प्रकार कोस्ट इण्डैक्स जोड़ने का कहीं पर भी नहीं दिया गया है। अतः नीति से बाहर प्रार्थी द्वारा दिये गये कथन को स्वीकारा जाना संभव नहीं है।
 13. जहाँ तक प्रार्थी द्वारा स्वयं का वैल्युएशन 738526 रु0 किया गया है तो वह मुख्यतः इस बिन्दु पर आधारित है कि संरचना के मूल्यांकन में 50 प्रतिशत की वृद्धि कोस्ट इण्डैक्स के आधार से की गई है। इन बिन्दु पर पूर्व में विस्तार से (बिन्दु सं0 12) विचार विमर्श कर अभिमत व्यक्त किया जा चुका है। अतः प्रार्थी द्वारा स्वयं की वैल्युएशन के संबंध में कथन को स्वीकारा जाना न्यायोचित नहीं है।
 14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुई द्वारा प्रार्थी की संरचना डीबी 76 आरएचएस का पारित मुआवजा आदेश यथावत रखा जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)

जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक: 26 मार्च, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के भीतर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)

जिला कलेक्टर, दौसा

